



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

18 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1087) पटना बुधवार 9 सितम्बर 2026

कृषि विभाग

अधिसूचना

7 सितम्बर 2026

सं० DOH/SS/42/2025/कृ०/6002—बीज अधिनियम-1996 की धारा 13 (1) एवं बीज नियंत्रण आदेश 1983 की कंडिका-12 के अधीन, प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने अंकित कार्यक्षेत्र के लिए नर्सरी पंजीकरण/नवीकरण हेतु बीज निरीक्षक, नियुक्त करते हुए, बीज अधिनियम-1966 की धारा-14 एवं 15 तथा बीज नियंत्रण आदेश, 1983 की कंडिका-13 में अंकित सभी शक्तियाँ प्रदत्त की जाती है।

क्र०सं०	सम्परिवर्तित पदनाम	कार्य क्षेत्र
1	सभी संयुक्त निदेशक उद्यान, उद्यान निदेशालय	सम्पूर्ण बिहार के लिए
2	सभी संयुक्त निदेशक उद्यान (प्रमण्डलीय)	अपने कार्य क्षेत्र के लिए
3	उप निदेशक, उद्यान (फलोत्पादन, रोपणी फसल, सूक्ष्म सिंचाई एवं नर्सरी विकास), उद्यान निदेशालय	सम्पूर्ण बिहार के लिए
4	सभी जिला उद्यान पदाधिकारी	अपने कार्य क्षेत्र के लिए
5	सभी अनुमण्डल उद्यान पदाधिकारी	अपने कार्य क्षेत्र के लिए

2. कृषि विभाग, बिहार अधिसूचना संख्या-02/बी0निरी0-22/2026-1796 दिनांक-12.03.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाए।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश से,
अनुज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1087-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>